Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियों जस्सू उर्फ जसवीर व पाते उर्फ साहब सिंह को हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों जस्सू उर्फ जसवीर पुत्र धारा सिंह व पाते उर्फ साहब सिंह पुत्र सीताराम निवासीगण ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 306/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 01.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों जस्सू उर्फ जसवीर व पाते उर्फ साहब सिंह को हुई 02-02 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

BAGHPAT POLICE

सर्विलांस सैल

जनवरी 2025

सर्विलांस सैल बागपत द्वारा जनता के खोये हुए 60 मोबाईल फोन (कीमत लगभग 15 लाख रूपये) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया सुपुर्द:-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनता के खोये हुए मोबाईल के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सैल जनपद बागपत को गुमशुदा मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में सर्विलांस सेल की टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए जनपदीय, गैरजनपदीय व गैर प्रान्तों से कुल 60 विभिन्न कम्पनियों के मल्टी मीडिया मोबाईल फोनों को बरामद करने में महत्तवपूर्ण सफलता प्राप्त की गई, बरामद किए गए मोबाईल फोनों की कुल कीमत लगभग 15 लाख रूपये है । बरामद मोबाईल फोनों को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज

दिनांक 01.01.2025 को पुलिस लाईन सभागार में उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया।

कुल बरामदगी:-

- **60 विभिन्न कम्पनियों के मल्टीमीडिया मोबाईल फोन (कीमत लगभग 15 लाख रूपये)**

बरामद मोबाईल फोन का विवरण:-

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	संख्या
01	सैमसंग	09
02	वन प्लस	01
03	पोको	05
04	टेक्नो	04
05	वीवो	10
06	रियल मी	03
07	रेडमी	11
08	ओप्पो	12
09	मोटरोला	03
10	इनफिनिक्स	02
कुल मोबाइल फोन		60

बरामद करने वाली टीम:-

प्र0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय सर्विलांस सैल टीम।

BAGHPAT POLICE

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत

दिसम्बर-2024

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद बागपत द्वारा माह दिसम्बर 2024 में 01 व्यक्ति से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में कुल₹ 4,78,000 वापस कराये गये–

साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद बागपत द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ित के बैंक खाते से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0/मु0अ0सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	खेकडा	388/24	4,78,000
		कुल योग	₹ 4,78,000

BAGHPAT POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

बागपत पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह दिसम्बर में कुल- 44 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गयाः-

बागपत पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह दिसम्बर में कुल-44 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी । इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है ।

क्र0सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा
01	बागपत	974/22	365 भादवि
02	बागपत	303/24	365 भादवि
03	बागपत	582/24	137(2) बीएनएस
04	बागपत	955/24	137(2)/351(2) बीएनएस
05	बागपत	984/24	137(2) बीएनएस
06	बागपत	990/24	87 बीएनएस
07	बागपत	1015/24	137(2)/351(2) बीएनएस
08	बागपत	1029/24	137(2) बीएनएस
09	बागपत	1037/24	137(2)/87 बीएनएस (2)
10	बागपत	1055/24	87 बीएनएस
11	सिंघावली अहीर	62/24	363/366 भादवि
12	सिंघावली अहीर	335/24	87 बीएनएस
13	सिंघावली अहीर	338/24	87 बीएनएस
14	बिनौली	73/24	365 भादवि
15	बिनौली	294/24	87 बीएनएस

16	खेकड़ा	204/24	363/137(2) बीएनएस
17	खेकड़ा	361/24	87 बीएनएस
18	खेकड़ा	403/24	87/351(2) बीएनएस
19	खेकड़ा	405/24	87 बीएनएस
20	खेकड़ा	408/24	137(2)/115(2)/352 बीएनएस
21	खेकड़ा	440/24	87 बीएनएस
22	चांदीनगर	132/23	366 भादवि
23	चांदीनगर	225/24	137(2) बीएनएस
24	बालैनी	173/24	87 बीएनएस
25	बड़ौत	707/24	140(3) बीएनएस
26	बड़ौत	832/24	137(2) बीएनएस
27	बड़ौत	858/24	87 बीएनएस
28	दोघट	41/23	365 भादवि
29	दोघट	293/23	365 भादवि
30	दोघट	297/24	365 भादवि
31	रमाला	117/24	365 भादवि
32	रमाला	320/24	137(2) बीएनएस
33	रमाला	324/24	137(2) बीएनएस
34	रमाला	330/24	140(3) बीएनएस
35	छपरौली	216/23	363 भादवि
36	छपरौली	298/24	137(2) बीएनएस
37	छपरौली	304/24	140(3) बीएनएस
38	छपरौली	309/24	87 बीएनएस
39	छपरौली	306/24	137(2) बीएनएस
40	छपरौली	312/24	137(2)/352/351(2) बीएनएस
41	छपरौली	316/24	87 बीएनएस
42	छपरौली	326/24	140(3) बीएनएस
43	छपरौली	331/24	87 बीएनएस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 01.01.25

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैंकिग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सि0 अहीर पर मु0अ0सं0 02/25 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तमशीर पुत्र तरीकत निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री प्रियवृत आर्या थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2. है0का0 349 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3. है0का0 294 नरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 01.01.25

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1.ब्रजभूषण पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2.विद्याभूषण पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-का0 160 अंकुल सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।